

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 136/2022  
वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

गीता देवी पत्नी स्व. हरदयाल उर्म 75 वर्ष जाति जाट साकिन दीनगढ़  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीया

बनाम



1. धर्मपाल पुत्र हरीराम
2. प्रहलाद पुत्र हरीराम
3. जगदीश पुत्र माडूराम
4. फताराम पुत्र अंगदराम
5. धीरा सिंह उर्फ रणधीर सिंह पुत्र गेजासिंह उर्फ अग्नेज सिंह
6. सत्यपाल पुत्र अंगद
7. जगदीश पुत्र इन्द्राज
8. महावीर पुत्र इन्द्राज
9. सीताराम पुत्र इन्द्राज
10. पवन कुमार पुत्र इन्द्राज
11. शन्टी पुत्र रामकुमार
12. यदुकुमार पुत्र पृथ्वीराज
13. शिवभगवान पुत्र हनुमान प्रसाद
14. राजेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद
15. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद
16. लाल पुत्र अरजन
17. रामजस पुत्र बीरबल
18. सूर्यप्रकाश पुत्र बीरबल
19. हनुमान प्रसाद पुत्र श्योलाल
20. देवीलाल पुत्र श्योलाल
21. कालूराम पुत्र श्योलाल
22. राजेन्द्र पुत्र श्योलाल
23. मांगीलाल पुत्र साहबराम
24. मंगतूराम पुत्र साहबराम
25. राजीव पुत्र हजारी
26. कुलदीप पुत्र हजारी
27. धर्मवीर पुत्र चानणराम
28. भीमसिंह पुत्र चानणराम
29. राजेन्द्र पुत्र चानणराम (फौत)
- 29/1 रिकल पुत्र राजेन्द्र
- 29/2 नेहा पत्नी स्व. करण पुत्रवधु राजेन्द्र
30. मोहरा पुत्र सोहना
31. ओ.बी.सी. बैंक वर्तमान पंजाब नैशनल बैंक शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
32. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

समस्त जाति जाट निवासीगण  
दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)

समस्त जाति जाट निवासीगण  
मौजगढ़ तहसील अबोहर जिला  
फाजिल्का (पंजाब)

—प्रतिवादीगण

पहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

उपस्थित :-


1. श्री महेन्द्र भादू - वकील वादीया
2. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु - वकील प्रतिवादी सं. 4

### निर्णय

दिनांक :- 07-03-2024

वादीया गीतादेवी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 32 के विरुद्ध यह राजस्व वाद घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 16.03.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया की खरीदशुदा कृषि भूमि चक नं. 1 ए.एम.पी.बी पटवार हल्का 4 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जं.सं. 2070-73 खाता सं. 35/38 खाता नन्दराम आदि में वादीया के नाम से 1.265 है. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिसकी वादीया खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

चक 1 ए.एम.पी.बी खाता सं. 35/38 खाता नन्दराम आदि	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	175/133	17	15/0.253 है.
	175/134	22	16/0.093, 22,23,25/0.253 है.प्र.
	175/135	32	2/0.116, 3/0.228, 8/0.253 है.
	176/133	18	11,12,19,20/0.253 है.प्र.
	176/134	21	2/0.253, 21/0.240, 22/0.253 है.



कुल क्षेत्रफल 3.4980 है. नहरी 3.460 है. गै.मु. रास्ता 0.0380 है.

वादीया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि से संबंधित सभी काश्तकारों प्रतिवादी सं. 1 ता 30 के साथ सांझा खाता की कृषि भूमि बाबत काफी समय पूर्व अच्छी मंदी किस्म के अनुसार मौखिक घरू विभाजन हो चुका है, जिस बाबत वादीया का अपने हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त को लेकर वाद के किसी अन्य पक्षकार के साथ कोई विवाद नहीं है। वादीया के हक व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पूर्ण विवरण निम्नप्रकार से है :-

(क) वादीया गीतादेवी पत्नी स्व. हरदयाल जाति जाट साकिन दीनगढ की कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक 1 ए.एम.पी.बी खाता सं. 35/38 खाता नन्दराम आदि	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	175/133	17	15/0.253 है.
	176/133	18	11,12,19,20/0.253 है.प्रत्येक

कुल कृषि भूमि 1.265 है. नहरी

वादीया के हक व आधिपत्य की उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर वाद के किसी पक्षकार के साथ वादीया का कोई विवाद नहीं है। लेकिन वादीया की उक्त कृषि भूमि सांझा खाता में होने के कारण वादीया का प्रतिवादीगण के साथ सीव बट, रकमराज, पानी वारी व कृषि ऋण आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही है। इसलिए वादीया ने कई दफा प्रतिवादीगण से उसके हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का खाता वादपत्र की चरण 3 के अनुसार खाता अलग कायम करवा कर अलग से रकमराज निर्धारण करवाने का निवेदन किया लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण बाद में करवाने का कहकर टालते रहे, परन्तु कल उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

सहायक जज एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 5,12,19,27,28,29/1, 29/2, 30 को रजि. एडी करवाने के बावजूद पते के अभाव में लौटने पर इनके सम्मन दैनिक सामाचार पत्र में साया करवाये गये। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 28,29/1, 29/2, 30,31,32 को न्यायालय में बार-बार आवाजे लगाई इसके बावजूद हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं. 4 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 29 के फौत होने पर वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ। वादपत्र के समर्थन में वादीया द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 1 ए.एम.पी.वी खाता सं. 35/38 खाता नन्दराम वगैरा की छायाप्रति पेश की। चक 1 ए.एम.पी.वी बैयनामा दस्तावेज छायाप्रति दिनांक 27.04.1982, नामान्तरण दस्तावेजात 969 दिनांक 05.02.1996 पेश हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त मय मृतक राजेन्द्र के वारिसान की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./023/124 दिनांक 16.01.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया एवं मृतक राजेन्द्र के वारिसान सह काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 28,29/1, 29/2, 30,31,32 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नही आये है। प्रतिवादी सं. 4 ने काउण्टर क्लेम पेश हो चुका है, प्रकरण में अन्य कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वादपत्र मुताबिक वादपत्र एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जं.सं. 2070-73 पर चक 1 ए.एम.पी.वी खाता सं. 35/38 खाता नन्दराम वगैरा एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 28,29/1, 29/2, 30,31,32 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नही आये है। प्रतिवादी सं. 4 ने काउण्टर क्लेम पेश हो चुका है, प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**--:: क्रियात्मक आदेश ::--**

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :-

चक 1 ए.एम.पी.वी खाता सं. 46/35 में कुल रकबा 3.498 है. में मौका पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट :-

सहायक जिला मजिस्ट्रेट एवं  
उपस्थान अधिकारी  
संगरिया

1. गीतादेवी पत्नी स्व. हरदयाल जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्र काफ्त की कृषि भूमि :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/133	17	15/0.253 है.
176/133	18	11,12,19,20/0.253 है.प्रत्येक
		कुल कृषि भूमि 1.265 है. नहरी

2. यदुकुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट सा. दीनगढ़ प.नं. 176/134 मु.नं. 21 कि. नं. 2/0.253 कुल रकबा 0.253 है. नहरी।

3. धर्मवीर, भीमसिंह पि० चानणराम जाति जाट साकिन मौजगढ़ तहसील अबोहर प.नं. 175/134 मु.नं. 22 कि.नं. 22/0.253, प.नं. 175/135 मु.नं. 32 कि.नं. 2/2/0.116, 2/4/0.013 है. कुल रकबा 0.382 है. नहरी।

4. फताराम पुत्र अंगदराम जाति जाट सा. दीनगढ़ प.नं. 175/134 मु.नं. 22 कि. नं. 16/2/0.093 है. 25/0.253, कुल रबा 0.346 है. नहरी।

5. सत्यपाल पुत्र अंगदराम जाति जाट सा. दीनगढ़ प.नं. 175/134 मु.नं. 22 कि. नं. 23/0.253 है., प.नं. 175/135 मु.नं. 32 कि.नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.

025 गै.मु.रास्ता, 8/0.253 है. प.नं. 176/134 मु.नं. 21 कि.नं. 21/2/0.240 है. कि.नं. 22/0.253 है. कुल रकबा 1.252 है. नहरी मय गै.मु।

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज.  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-03-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( राकेश कुमार मीना )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईबादाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 136/2022

गीता देवी पत्नी स्व. हरदयाल उर्म 75 वर्ष जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादीया

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र हरीराम
2. प्रहलाद पुत्र हरीराम
3. जगदीश पुत्र माडूराम
4. फताराम पुत्र अंगदराम
5. धीरा सिंह उर्फ रणधीर सिंह पुत्र गेजासिंह उर्फ अग्नेज सिंह
6. सत्यपाल पुत्र अंगद
7. जगदीश पुत्र इन्द्राज
8. महावीर पुत्र इन्द्राज
9. सीताराम पुत्र इन्द्राज
10. पवन कुमार पुत्र इन्द्राज
11. शन्टी पुत्र रामकुमार
12. यदुकुमार पुत्र पृथ्वीराज
13. शिवभगवान पुत्र हनुमान प्रसाद
14. राजेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद
15. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद
16. लाल पुत्र अरजन
17. रामजस पुत्र बीरबल
18. सूर्यप्रकाश पुत्र बीरबल
19. हनुमान प्रसाद पुत्र श्योलाल
20. देवीलाल पुत्र श्योलाल
21. कालूराम पुत्र श्योलाल
22. राजेन्द्र पुत्र श्योलाल
23. मांगीलाल पुत्र साहबराम
24. मंगतूराम पुत्र साहबराम
25. राजीव पुत्र हजारि
26. कुलदीप पुत्र हजारि
27. धर्मवीर पुत्र चानणराम
28. भीमसिंह पुत्र चानणराम
29. राजेन्द्र पुत्र चानणराम (फौत)
- 29/1 रिकल पुत्र राजेन्द्र
- 29/2 नेहा पत्नी स्व. करण पुत्रवधु राजेन्द्र
30. मोहरा पुत्र सोहना
31. ओ.बी.सी. बैंक वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
32. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)



समस्त जाति जाट निवासीगण  
दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)

समस्त जाति जाट निवासीगण  
मौजगढ़ तहसील अबोहर जिला  
फाजिल्का (पंजाब)

---प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेन्द्र सिंह भादू वकील वादीया मिन जांमिन मुदई व श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीया निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

1. गीतादेवी पत्नी स्व. हरदयाल जाति जाट साकिन दीनगढ की कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/133	17	15/0.253 है.
176/133	18	11,12,19,20/0.253 है.प्रत्येक

कुल कृषि भूमि 1.265 है. नहरी

2. बटुकुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट सा. दीनगढ प.नं. 176/134 मु.नं. 21 कि.नं. 2/0.253 कुल रकबा 0.253 है. नहरी।
3. धर्मवीर, भीमसिंह पि० चानणराम जाति जाट साकिन मौजगढ तहसील अबोहर प. नं. 175/134 मु.नं. 22 कि.नं. 22/0.253, प.नं. 175/135 मु.नं. 32 कि.नं. 2/2/0.116, 2/4/0.013 है. कुल रकबा 0.382 है. नहरी।
4. फताराम पुत्र अंगदराम जाति जाट सा. दीनगढ प.नं. 175/134 मु.नं. 22 कि.नं. 16/2/0.093 है. 25/0.253, कुल रबा 0.346 है. नहरी।
5. सत्यपाल पुत्र अंगदराम जाति जाट साकिन दीनगढ प.नं. 175/134 मु.नं. 22 कि.नं. 23/0.253 है., प.नं. 175/135 मु.नं. 32 कि.नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 8/0.253 है. प.नं. 176/134 मु.नं. 21 कि.नं. 21/2/0.240 है. कि.नं. 22/0.253 है. कुल रकबा 1.252 है. नहरी मय गै.मु।

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज.  निल.  मुब्लिक.  निल.  बाबत.  निल.  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07-03-2024 को जारी किया गया।



( राकेश कुमार मीना )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
संगरिया